

प्रयुक्त

महानिदेशक,
राज्य परिवहन, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सादा में

श्री सी०के० खेतान,
संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

क्रमांक 5675 / टी०आई०-4

दिनांक 22-1-14

Subject:- Women commuters harassed while travelling in urban transport systems.

उपरोक्त विषय बारे आपके कार्यालय के अर्धसरकारी पत्र क्रमांक K-14011/21/2013-111-II dated the 14th November, 2013 के संदर्भ में

1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3106-26/टी०आई०-3/ दिनांक 12.07.2007 में राज्य परिवहन की बस सेवाओं में महिला यात्रियों के लिए सीटें निर्धारित करने की हिदायत जारी की हुई है।(प्रति संलग्न)
2. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4164-88/टी०आई०-5/ दिनांक 05.09.2013 में eve teasing इत्यादि की घटनाओं को रोकने बारे निर्देश जारी किए हुए हैं।(प्रति संलग्न)
3. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1508-36/टी०आई०-4/ दिनांक 20.07.2011 में मार्ग पर कार्य निर्वह करने वाले सभी चालकों/परिचालकों को विभाग द्वारा जारी निर्धारित वर्दी पहनने व उस पर नाम पट्टीका लगाने की हिदायतें जारी की हुई हैं।(प्रति संलग्न)
4. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1140-64/टी०आई०-4/ दिनांक 04.03.2013 में सभी बस सेवाओं में महिला हेल्पलाइन नम्बर लिखने के निर्देश जारी किए हुए हैं। (प्रति संलग्न)
5. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4366-88/टी०आई०-4/ दिनांक 08.10.2013 में स्कूली बच्चों व आमजन को मांग अनुसार बस सेवाएं उपलब्ध करवाने बारे निर्देश जारी किए हुए हैं।(प्रति संलग्न)

कृते: महानिदेशक राज्य परिवहन,
हरियाणा, चण्डीगढ़ 22/1/14